

अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएं

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता तथा निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों का अनुपालन, साथ ही प्रतिवेदन की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/ प्राधिकरणों के माध्यम से बजट के बाहर लिया गया उधार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293(3) भारत सरकार से ऋण लेने हेतु राज्य सरकार के लिए, यदि उसके पास भारत सरकार से कोई बकाया ऋण या गारंटी है, भारत सरकार की सहमति को अनिवार्य करता है। इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश किया था कि 2023-24 से 2025-26 के लिए राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा (एनबीसी) को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत पर निर्धारित किया जा सकता है।

उपर्युक्त निर्धारित निवल उधार सीमा को दरकिनार कर बजट के अतिरिक्त राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (एसपीएसयू)/ निगमों/ अन्य निकायों के माध्यम से ऋण प्राप्त करना, राज्य द्वारा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, राजकोषीय स्थिति और लोक वित्त में पारदर्शिता के लिए अत्यधिक जोखिम पैदा करता है। तदनुसार, राज्य सरकारों के वित्तीय वर्ष के लिए उधार सीमा को अब भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर लिये गए (ऑफ-बजट) उधार सीमा तक कम किया जा रहा है।

राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में यह निर्धारित किया गया था कि जहां पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, राज्य सरकार लोक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों और अन्य समतुल्य उपकरणों द्वारा बजट के बाहर लिए गए उधार से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों का खुलासा करते हुए लोक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। इसके अलावा, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2007 में यह प्रावधान है कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानसभा के समक्ष रखा गया 'मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण', राज्य

सरकार के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और कुल बकाया ऋण¹ के संबंध में पांच साल के रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे।

वर्ष 2024-25 के लिए, विधानसभा में प्रस्तुत एमटीएफपी के अनुसार राज्य के लिए ऋण स्टॉक को जीएसडीपी के 27 प्रतिशत पर लक्षित किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी (अक्टूबर 2025) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा कोई बजट के बाहर उधार नहीं लिया गया था।

3.2 सरकार की अमुक्त देनदारियाँ

अमुक्त देनदारियाँ, जैसे कि संग्रहित उपकर का निर्दिष्ट निकायों को हस्तांतरण नहीं करने से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक राजकोषीय और शासन निहितार्थों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अदत्त देनदारियाँ समय के साथ बढ़ती हैं, जिससे छिपी हुई देनदारियाँ पैदा होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करती हैं। इसके अलावा, उपकर हस्तांतरण में देरी से अपेक्षित विकास या कल्याणकारी लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे उस उद्देश्य को विफल कर दिया जाता है जिसके लिए इस तरह के उपकर लगाए गए थे। इन वर्षों में, इस तरह की प्रथाएं विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देनदारियों को जन्म दे सकती हैं और भविष्य के व्यय दायित्वों को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय दायरा सीमित हो सकता है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो सकती है।

3.2.1 अमुक्त ब्याज देयता

सरकार ब्याज-धारित जमा/रक्षित निधि के तहत दिखाई गई राशि प्रदान करने और उस पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 1 अप्रैल 2024 को ब्याज धारित जमा/रक्षित निधि के तहत पड़े ₹ 2,865.63 करोड़ के शेष पर ₹ 268.06 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किए जाने की आवश्यकता थी जैसा कि तालिका 3.1 में दिखाया गया है। देय ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई है।

तालिका 3.1: ब्याज-धारित जमा/ रक्षित निधि के संबंध में अदा न की गई देय ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्याज-धारित जमा का नाम /शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	प्रावधान नहीं की गई ब्याज की राशि
1.	सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	79.27	सामान्य भविष्य निधि के लिए देय ब्याज दर (7.1 प्रतिशत) के अनुसार गणना की गई ब्याज।	5.31

¹ जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में परिभाषित किया गया है, राज्य के कुल बकाया ऋण में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, रक्षित निधि और जमा शामिल हैं।

क्र. सं.	ब्याज-धारित जमा का नाम /शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	प्रावधान नहीं की गई ब्याज की राशि
2.	एसडीआरएफ और एसडीएमएफ	2,786.36 (एसडीआरएफ 2,634.96 एसडीएमएफ 151.40)	आरबीआई ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों (औसत दर 8.46 प्रतिशत) के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर गणना की गई ब्याज।	262.75
कुल		2,865.63		268.06

स्रोत: वित्त लेख 2024-25

समय पर अर्जित ब्याज का भुगतान नहीं करने से न केवल राज्य के कोष पर अतिरिक्त देनदारी उत्पन्न हुई, बल्कि राज्य के राजस्व अधिशेष को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और राजकोषीय घाटे को कम करके आंका गया। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, इस बकाया ब्याज से वर्तमान राजकोषीय घाटा जो कि 2.81 प्रतिशत है, 0.05 प्रतिशत अंक बढ़कर, 2.86 प्रतिशत हो जाएगा।

3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अल्प योगदान

1 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जिसके एवज में राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत (1 अप्रैल 2019 से) का योगदान किया जाता है। संपूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

झारखण्ड राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी की अधिसूचना जारी की। वर्ष 2024-25 तक, 1,14,494 ने ओपीएस का विकल्प चुना था, 76 ने एनपीएस का विकल्प चुना था और 992 ने कोई विकल्प नहीं चुना था। एनएसडीएल में नियोक्ता का योगदान 2023-24 में ₹ 7.66 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 8.54 करोड़ हो गया।

2024-25 के दौरान, लोक लेखा में एनपीएस का आरंभिक शेष (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) ₹ 79.27 करोड़ था, जिसमें कर्मचारी के योगदान के रूप में ₹ 5.29 करोड़ की प्राप्ति हुई। वर्ष के दौरान राज्य द्वारा एनएसडीएल को ₹ 60.69 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिससे 2024-25 के अंत में ₹ 23.87 करोड़ की राशि शेष बची। सरकार का ₹ 8.54 करोड़ का योगदान सीधे एनएसडीएल को हस्तांतरित किया गया।

कर्मचारी अंशदान को इसके संग्रह के तुरंत बाद एनएसडीएल को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, यह देखा गया कि कर्मचारियों से एकत्र किए गए ₹ 23.87 करोड़ मार्च 2025 तक स्थानांतरित नहीं किए गए और लोक लेखे में रखे गए।

2008-25 के दौरान एनपीएस के तहत राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हिस्से से प्राप्तियों, सरकार के योगदान और एनएसडीएल को इसके हस्तांतरण का विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है।

3.2.3 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) के अनुसार, नियोक्ता/ निर्माणकर्ताओं द्वारा भूमि की लागत और कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत देय किसी भी मुआवजे को छोड़कर, निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर एकत्र किया जाना था। सभी विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों को सभी निर्माण गतिविधियों पर यह उपकर एकत्र करने और इसे राज्यों के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास जमा करने का निर्देश दिया गया था। संग्रहित उपकर का उपयोग राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना है।

तालिका 3.2 सरकार द्वारा एकत्र किए गए और झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित श्रम उपकर को दर्शाता है।

तालिका 3.2: सरकार द्वारा एकत्रित और बोर्ड को हस्तांतरित श्रम उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा स्थानांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2016-17 तक	312.90	4.83*	471.93
2017-18	80.77	0.00	
2018-19	79.81	0.00	
2019-20	76.70	0.00	
2020-21	59.15	0.00	
2021-22	54.86	0.00	
2022-23	68.81	154.00	
2023-24	93.34	154.00	
2024-25	119.33	160.91	
कुल	945.67	473.74	471.93

* बीओसीडब्ल्यू से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित

स्रोत: वित्त लेखे एवं बीओसीडब्ल्यू से प्राप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य द्वारा मुख्य शीर्ष 0230 - श्रम और रोजगार के तहत ₹ 119.33 करोड़ की राशि एकत्र की गई और कुल उपलब्ध निधि का ₹ 160.91 करोड़ हस्तांतरित किया गया। मार्च 2025 तक, उपकर का कुल संग्रह ₹ 945.67 करोड़ था, जिसमें से ₹ 473.74 करोड़ पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था, जिससे ₹ 471.93 करोड़ की बकाया राशि शेष रह गई थी। संग्रहित उपकर के हस्तांतरण न करने से न केवल भवन और निर्माण श्रमिकों के लक्षित कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि राज्य की देनदारी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है।

3.2.4 स्थानीय निकायों को उपकर का हस्तांतरण नहीं करना

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष '0029- भूमि राजस्व' के तहत भूमि उपकर के रूप में ₹ 0.96 करोड़ एकत्र किए। वर्ष 2000-01 से 2024-25 की अवधि के बीच इस लेखे में कुल संग्रह ₹ 202.72 करोड़ था। हालांकि, मार्च 2025 तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी निर्दिष्ट निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी, जिससे राज्य की देनदारी उसी अनुपात में बढ़ गई थी।

चूंकि भूमि उपकर के संबंध में राज्य द्वारा कोई अधिनियम/ नियम बनाया नहीं गया था, इसलिए संग्रह, हस्तांतरण और इसके उपयोग की शर्तों को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार (25 नवंबर 2025) ने आश्वासन दिया कि मामले की जाँच की जाएगी और भूमि उपकर के लगाने, संग्रह, हस्तांतरण और उपयोग के संबंध में उचित नीतिगत प्रावधान तैयार किए जाएंगे।

3.2.5 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम), 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारक को ट्रस्ट को भुगतान की गई रॉयल्टी का 2 प्रतिशत योगदान देना आवश्यक है। एनएमईटी नियमों के अनुसार, राज्य सरकार इन अंशदानों को एकत्र करने, उन्हें मुख्य शीर्ष '8449-123-एनएमईटी जमा' के तहत लोक लेखे में जमा करने और भारत की समेकित निधि में मासिक रूप से धन हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार है।

2024-25 के दौरान, एनएमईटी जमा में आरंभिक शेष राशि ₹ 28.95 करोड़ थी, जिसमें ₹ 140.62 करोड़ जोड़े गए और ₹ 154.85 करोड़ (पिछले वर्षों की शेष राशि से ₹ 14.23 करोड़ सहित) राज्य सरकार द्वारा भारत की संचित निधि में हस्तांतरित किए गए। 2024-25 के अंत में निधि में अंत शेष राशि ₹ 14.72 करोड़ थी।

चूंकि, भारत की समेकित निधि में हस्तांतरण के लिए ₹ 14.72 करोड़ लंबित थे, इसलिए राज्य की नकद शेष राशि को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था।

3.2.6 राज्य खनिज अन्वेषण न्यास / राज्य खनिज विकास निधि

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने (19 नवंबर 2024 को) सभी राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उप-धारा (ए) के खंड (जी) के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की तर्ज पर एक राज्य खनिज अन्वेषण न्यास (एसएमईटी)/ राज्य खनिज विकास निधि (एसएमडीएफ) की स्थापना करे।

हालांकि, झारखण्ड सरकार ने (नवंबर 2025 तक) लघु खनिजों से संबंधित अन्वेषण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए लोक लेखे/ बैंक खाते के तहत एसएमईटी की स्थापना नहीं की थी।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि नीति निर्माण और एसएमईटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब

झारखण्ड वित्तीय नियमों के नियम 342 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां सहायता-अनुदान स्वीकृत हो और ऐसे मामले जिसमें सहायता-अनुदान के उपयोगिता के लिये विशेष उद्देश्यों या समयसीमा जिसके भीतर धन खर्च किया जाना हो या किसी और तरह की शर्तें जुड़ी हो तो वह विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता-अनुदान विपत्र आहरित किया गया था, सहायता-अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्णता प्रमाणित करने के लिए महालेखाकार के प्रति मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा।

वर्ष 2024-25 की शुरुआत में, ₹ 1,33,161.50 करोड़ की 47,367 उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) बकाया थी, जिनमें से ₹ 1,899.29 करोड़ की 86 उ.प्र.प. को 2024-25 के दौरान समायोजित किया गया था। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान, ₹ 29,303.59 करोड़ की 5,574 उ.प्र.प. प्रस्तुत करने के लिए देय (31 मार्च 2025 तक) हो गईं। इस प्रकार, 31 मार्च 2025 तक समायोजन के लिए ₹ 1,60,565.80 करोड़ की 52,855 उ.प्र.प. बकाया थी, जैसा कि तालिका 3.4 में दिया गया है

तालिका 3.4: उपयोगिता प्रमाण पत्रों की आयु-वार लंबितता

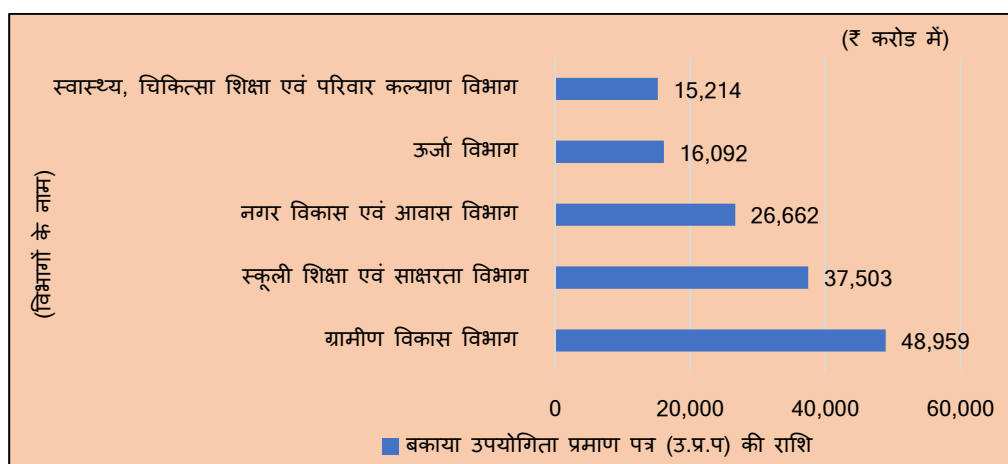
(₹ करोड़ में)

उ.प्र.प. देय वर्ष*	लंबित उ.प्र.प. की संख्या	राशि
2019-20 से पहले	27,985	66,972.00
2019-20	4,417	17,973.69
2020-21	4,556	14,535.30
2021-22	5,144	13,739.71
2022-23	5,179	18,041.51
2023-24 (मार्च 2024 तक स्वीकृत)	5,574	29,303.59
कुल	52,855	1,60,565.80

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का कार्यालय

*ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 महीने बाद।

चार्ट 3.1: पांच प्रमुख विभाग के संबंध में 31 मार्च 2025 को बकाया उ.प्र.प.



स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

उ.प्र.प. जमा न करने से सरकारी धन के दुरुपयोग का खतरा होता है। राज्य सरकार को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और समय पर उ.प्र.प. जमा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.3.1 अनुदान संख्या 20 और 51 में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

चयनित अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) के बजटीय प्रक्रिया विश्लेषण के दौरान 31 मार्च 2025 तक बकाया उ.प्र.प. की राशि और संख्या तालिका 3.5 में दिखाई गई है।

तालिका 3.5: अनुदान संख्या 20 और 51 के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में बकाया

(₹ करोड़ में)			
शीर्ष	वित्तीय वर्ष	लंबित उ.प्र.प. की संख्या	राशि
अनुदान संख्या 20			
2210	2021-22 तक	1,319	9,399.54
	2022-23	358	2,907.23
	2023-24	359	2,907.38
कुल		2,036	15,214.15
अनुदान संख्या 51			
2225	2021-22 तक	341	280.40
	2022-23	772	648.97
	2023-24	495	454.99
4225	2021-22 तक	01	2.99
	2022-23	10	37.24
	2023-24	02	50.00
कुल		1,621	1,474.59

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) झारखण्ड का कार्यालय

जैसा कि तालिका 3.5 से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 20 के तहत ₹ 15,214.15 करोड़ की बड़ी राशि से संबंधित 2,306 उ.प्र.प. और अनुदान संख्या 51 के तहत ₹ 1,474.59 करोड़ की राशि वाले 1,621 उ.प्र.प. विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, यह कोषागार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सहायता-अनुदान की मंजूरी के 12 महीनों के भीतर उ.प्र.प. प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अनुदान संख्या 20 के नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 2021-24 के दौरान 'मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना' के लिए ₹ 91.75 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से ₹ 73.94 करोड़ नमूना-जाँच किए गए जिलों के सिविल सर्जन द्वारा विभिन्न अस्पतालों में हस्तांतरित किए गए थे। ₹ 73.94 करोड़ के कुल हस्तांतरण के विरुद्ध, सितंबर 2025 तक प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को कोई उ.प्र.प. प्रस्तुत नहीं किया गया था। सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पतालों से उ.प्र.प. एकत्र किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्रजनन बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2021-25 के बीच प्रदान किए गए ₹ 2,288.89 करोड़ का उपयोग किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा उ.प्र.प. को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को नहीं भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के अभिलेखों में उ.प्र.प. लंबित थे।

उ.प्र.प. जमा करने में लंबे समय तक विफलता न केवल वित्तीय जवाबदेही को कमजोर करती है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन का गंभीर जोखिम भी उत्पन्न करती है।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

जब अग्रिम में धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक राशि की सटीक गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सेवा शीर्षों को डेबिट करके, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र के माध्यम से, सहायक दस्तावेजों के बिना पैसे निकालने की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के तहत एक व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) 2016 के नियम 305 के साथ पठित नियम 187 में यह प्रावधान है कि डीडीओ को ऐसे अग्रिम आहरण की तिथि से छह महीने के भीतर वित्तीय व्यय के समर्थन में वाउचर वाले विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। डीसी विपत्रों के विलंबित जमा या लंबे समय तक जमा न करने से लेखों की पूर्णता और सटीकता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2025 तक समायोजन हेतु लंबित ए.सी. विपत्रों, का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: आयु-वार समायोजित किए जाने वाले लंबित एसी विपत्र

(₹ करोड़ में)

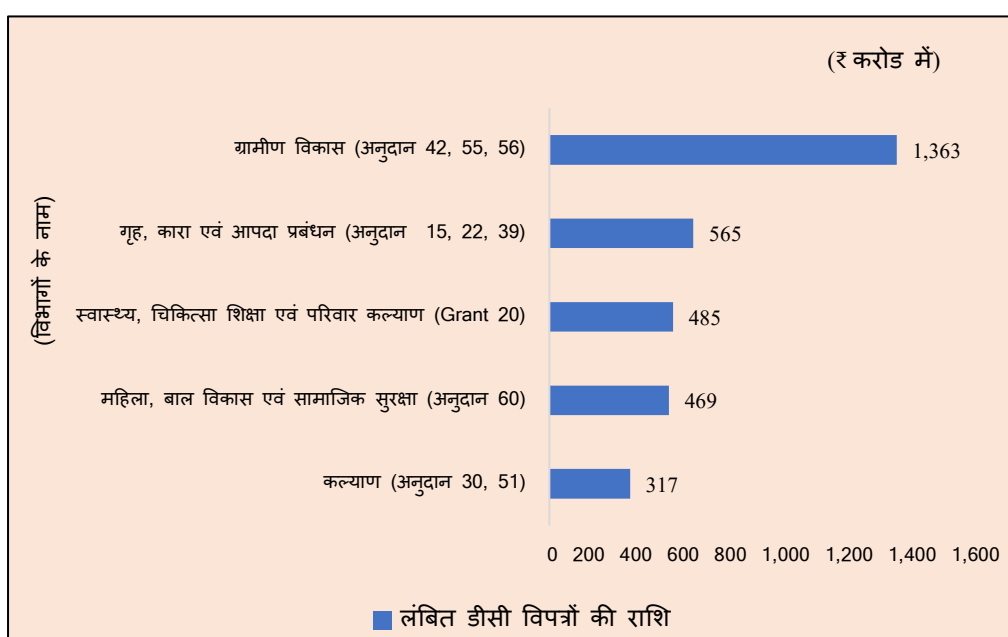
देय वर्ष	एसी विपत्रों की संख्या	राशि
2020-21 तक	17,416	4,192.27
2021-22	149	100.73
2022-23	294	229.96
2023-24	16	7.91
2024-25*	2.	0.12
कुल	17,877	4,530.99

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

*सितंबर 2024 तक आहरित विपत्रों को ध्यान में रखा गया है

2024-25 के दौरान, ₹ 55.99 करोड़ के 151 एसी विपत्र आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 22.35 करोड़ के 24 एसी विपत्रों को 31 मार्च 2025 तक समायोजित किए गए। यह भी देखा गया कि मार्च 2025 के महीने में ₹ 15.81 करोड़ (28 प्रतिशत) के 38 एसी विपत्र आहरित किए गए थे। वर्ष के अंत में एसी विपत्रों पर धन की निकासी से संकेत मिलता है कि निकासी मुख्य रूप से बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए की गई होगी।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि एसी विपत्रों के माध्यम से आहरण को अब कम कर दिया गया है और सभी लंबित डीसी विपत्रों के निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

चार्ट 3.2: पांच प्रमुख विभाग जहां डीसी विपत्र लंबित थे

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय

लंबे समय तक अग्रिम राशि का समायोजन न करने से दुर्विनियोजन का खतरा होता है और इसलिए डीसी विपत्र जमा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है।

3.4.1 अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बकाया डीसी विपत्र

प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, 2024-25 तक 2210, 2211, 2251 और 4210 शीर्षों के तहत ₹ 2,330.40 करोड़ के 3,642 एसी विपत्र आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 1,846.07 करोड़ के 1,386 डीसी विपत्र प्रस्तुत किए गए और ₹ 484.33 करोड़ के 2,256 एसी विपत्र डीसी विपत्र प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे, जैसा कि तालिका 3.7 में विस्तृत है।

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 20 में बकाया डीसी विपत्र

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी विपत्र का विवरण		प्रस्तुत डीसी विपत्रों का विवरण		बकाया डीसी विपत्र	
		एसी विपत्र की संख्या	राशि	डीसी विपत्र की संख्या	राशि	डीसी विपत्र की संख्या	राशि
2210	2020-21 तक	1,771	1,20,898.04	833	97,093.10	938	23,804.94
	2021-22	39	49,542.67	10	48,955.08	29	587.59
	2022-23	26	12,884.26	13	12,577.44	13	306.82
	2023-24	15	785.73	08	584.75	07	200.98
	2024-25	140	1,946.57	27	401.19	113	1,545.38
2211	2020-21 तक	1,110	2,213.15	229	162.97	881	2,050.18
	2021-25	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2251	2020-21 तक	08	9.57	04	8.20	04	1.37
	2021-25	00	0.00	00	0.00	00	0.00
4210	2020-21 तक	530	44,373.24	262	24,572.95	268	19,800.29
	2021-22	01	132.74	00	0.00	01	132.74
	2022-23	01	4.88	00	4.15*	01	0.73
	2023-24	01	249.38	00	247.34*	01	2.04
	2024-25	00	0.00	00	0.00	00	0.00
कुल		3,642	2,33,040.23	1,386	1,84,607.17	2,256	48,433.06

* डीसी विपत्र आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड का कार्यालय

इसके अलावा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि 2024-25 तक ₹ 23.13 करोड़ के 49 एसी विपत्र आहरित किए गए थे, जिनमें से ₹ 11.79 करोड़ के 15 डीसी विपत्र (आंशिक रूप से) प्रस्तुत किए गए थे और डीसी विपत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹ 11.34 करोड़ के 36 एसी विपत्र बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में विस्तृत है।

अनुदान संख्या 20 के तहत नमूना-जाँच इकाइयों में लंबित डीसी विपत्रों पर टिप्पणियाँ:

(i) जेटीसी के नियम 168 के अनुसार, 'आकस्मिक प्रभार' या आकस्मिकताएं' का अर्थ वे सभी आनुषंगिक और अन्य व्यय हैं जो किसी कार्यालय के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं, इनमें वे व्यय शामिल नहीं हैं जो व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित नियमों के तहत, व्यय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आते हैं जैसे कि 'निर्माण', 'स्टॉक', 'उपकरण और संयंत्र' आदि।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर के अधीक्षक द्वारा अस्पताल परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए एसी विपत्रों पर ₹ 1.76 करोड़ आहरित किए गए थे। राशि कार्यपालक अभियंता (का.अ.), बीसीडी, जमशेदपुर को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। डीसी विपत्रों के स्थान पर, का.अ., बीसीडी, जमशेदपुर द्वारा सीधे प्र.म.ले. (ले. एवं हक.), झारखण्ड को ₹ 1.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गए थे। चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र डीसी विपत्रों के स्थान पर भेजे गए थे, इसलिए ₹ 1.04 करोड़ के एसी विपत्रों को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) की लेखों में समायोजित नहीं किया गया था। इसके अलावा, ₹ 0.72 करोड़ की शेष एसी विपत्रों का विवरण लेखापरीक्षित इकाई द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है।

तालिका 3.8: एसी विपत्रों पर आहरित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	एसी विपत्र सं.	एसी विपत्रों के माध्यम से निकाली गई राशि	उपयोग की गयी राशि	शेष
1	168/06-07	10.44	9.74	0.70
2	169/06-07	6.84	6.33	0.51
3	208/06-07	25.00	23.65	1.35
4	191/06-07	5.51	5.40	0.11
5	171/07-08	128.10	59.26	68.84
कुल		175.89	104.38	71.51

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) कार्यालय और नमूना-जाँच की गई इकाई द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े

(ii) सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, खूँटी द्वारा आदिम जनजातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल पैकेज के लिए आवंटन के पांच महीने बाद एसी विपत्र पर ₹ 9.84 लाख की राशि (01 मार्च 2025) निकाली गई और जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (डीआरएचएस), खूँटी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। अप्रयुक्त राशि डीआरएचएस के बैंक खाते में ही पड़ी थी सितंबर 2025 तक एसी विपत्रों समायोजन हेतु लंबित थी।

(iii) सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, जमशेदपुर द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 17.17 लाख की राशि निकाली (08 नवंबर 2004) गई और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और परिसर की चारदीवारी, कोकपारा के नवीनीकरण के लिए का.अ., बीसीडी, जमशेदपुर को हस्तांतरित की गई, जिसमें से डीसी विपत्र ₹ 16.72 लाख की राशि अठारह साल बाद (26 मई 2023) प्रस्तुत की गई थी। शेष राशि, ₹ 0.45 लाख, का.अ., बीसीडी, जमशेदपुर के पास अप्रयुक्त पड़ी है।

(iv) 2017-18 के दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के प्राचार्य द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 4.22 करोड़ की राशि आहरित (05 फरवरी 2018) की गई और ई-लाइब्रेरी और ई-क्लास रूम की स्थापना के लिए जैप-आईटी, राँची को हस्तांतरित की गई। ₹ 4.22 करोड़ में से ₹ 2.33 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया और 12 जुलाई 2019 से 29 अप्रैल 2025 के दौरान डीसी विपत्र (पांच भागों में) प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत किए गए। हालांकि, सितंबर 2025 तक ₹ 1.89 करोड़ के डीसी विपत्र जमा करने के लिए लंबित थे।

(v) एसी विपत्र पर ₹ 12.66 लाख की राशि (16 अक्टूबर 2007) निकाली गई और कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, राँची को हस्तांतरित की गई, जिसमें से ₹ 11.24 लाख का उपयोग किया गया और 03.02.2023 को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को डीसी विपत्र प्रस्तुत किए गए। सितंबर 2025 तक ₹ 1.42 लाख के डीसी विपत्र जमा करने के लिए लंबित थे।

3.4.1.1 वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों की निकासी - ₹ 32.51 करोड़

विनियोजन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोषागार से निकाली गयी धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जेटीसी के नियम 174 में यह निर्धारित किया गया है कि मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदान के व्यपतगत को रोकने के लिए कोषागार से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा।

प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के कार्यालय के वाउचर लेवल कंप्यूटरीकरण (वीएलसी) आँकड़े के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में 2004-05 से 2024-25 की अवधि के दौरान 2210, 2211 और 4210 शीर्षों² के अंतर्गत एसी विपत्रों पर ₹ 32.51 करोड़ आहरित किए

² 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

गए। इस अवधि के दौरान कुल आहरण में से, ₹ 2.88 करोड़ के डीसी विपत्र सितंबर 2025 तक जमा करने के लिए लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में विस्तृत है।

चयनित इकाइयों की नमूना-जाँच के दौरान, निम्नलिखित बातें देखी गयीं:

(i) सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, खूँटी को 'आदिम जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल पैकेज' के तहत ₹ 9.84 लाख की राशि आवंटित (08.10.2024) की गई। सिविल सर्जन-सह-सीएमओ, खूँटी द्वारा धन के आवंटन के पांच महीने (01 मार्च 2025) के बाद एसी विपत्र पर राशि निकाली गई और जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसायटी (डीआरएचएस), खूँटी को हस्तांतरित कर दी गई। इस राशि का उपयोग नहीं किया गया और यह डीआरएचएस के बैंक खातों में पड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2025 तक प्रधान महालेखाकार की लेखों में एसी विपत्रों का समायोजन नहीं हो सका।

(ii) नमूना-जाँच के दौरान यह देखा गया कि मेडिकल कॉलेज को सुदृढीकरण करने और उन्नयन करने के लिए केंद्रीय अंश के रूप में एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के प्राचार्य को ₹ तीन करोड़ (28 जुलाई 2017) आवंटित किए गए थे। यह राशि आहरित (31 मार्च 2018) की गई और डीडीओ के बचत बैंक खाते में रखी गई। इनमें से ₹ 1.34 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया और डीसी विपत्र (चार भागों में) प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत (21 जून 2019 से 02 जनवरी 2025) किए गए। शेष ₹ 1.66 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही और डीडीओ के बैंक खाते में पड़ी रही।

3.4.1.2 डीसी विपत्र जमा करने में विलंब

(ए) प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार, अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्षों '2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' और '4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय' के तहत नमूना-जाँच इकाइयों द्वारा एसी विपत्र पर ₹ 61.44 करोड़ आहरित किए गए थे। यह देखा गया कि उपयोग के बाद, डीडीओ द्वारा डीसी विपत्रों को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को दो महीने से लेकर 11 साल तक की देरी के साथ प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विस्तृत है।

(बी) नमूना-जाँच इकाइयों में, एसी विपत्रों पर ₹ 29.26 करोड़ (2008-09 से 2023-24 तक) निकाले गए, जिनमें से ₹ 20.02 करोड़ का उपयोग मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना और मॉडल स्वास्थ्य उप-केंद्र पर नहीं किया गया। एक से 12 वर्षों के अंतराल के बाद, ₹ 20.02 करोड़ को कोषागार में वापस कर दिया गया और समायोजन के लिए डीसी विपत्रों को प्र.म.ले. (ले. एवं हक.), झारखण्ड को प्रस्तुत किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में विस्तृत है।

3.4.2 अनुदान संख्या 51 में बकाया डीसी विपत्र

प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े के अनुसार, अनुदान संख्या 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (एसटी, एससी एवं बीसी कल्याण प्रभाग) में 2000-01 से 2020-21 के दौरान ₹ 1,432.45 करोड़ के 3,615 एसी विपत्र तैयार किए गए थे। इसमें से, अगस्त 2025 तक ₹ 1,102.12 करोड़ के 1,597 डीसी विपत्र जमा किए गए थे और ₹ 330.35 करोड़ के 2,018 एसी विपत्र बकाया थे, जैसा कि तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: आयु-वार समायोजन हेतु लंबित एसी विपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	वर्ष	एसी विपत्र का विवरण		प्रस्तुत डीसी विपत्रों का विवरण		बकाया डीसी विपत्रों का विवरण	
			एसी विपत्रों की संख्या	एसी विपत्र राशि	डीसी विपत्रों की संख्या	डीसी विपत्र राशि	डीसी विपत्रों की संख्या	डीसी विपत्र राशि
1	2225	2020-21 तक	3,145	1,002.86	1,415	800.37	1,730	202.50
2	4225		408	429.44	135	301.74	273	127.71
3	2251		62	0.15	47	0.01	15	0.14
कुल			3,615	1,432.45	1,597	1,102.12	2,018	330.35

इसके अलावा, नमूना-जाँच इकाइयों में, यह देखा गया कि 2015-16 तक 203 एसी विपत्र की राशि ₹ 51.15 करोड़ आहरित की गयी थी, जिनके विरुद्ध ₹ 26.59 करोड़ के डीसी विपत्र प्रस्तुत किए गए थे और अगस्त 2025 तक नौ से 20 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 24.56 करोड़ के एसी विपत्र डीसी विपत्र जमा करने के लिए लंबित थी, जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत है।

डीसी विपत्र जमा करने में अत्यधिक देरी न केवल वित्तीय, प्रशासनिक और जवाबदेही मानदंडों का उल्लंघन करती है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन/ दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न करती है।

राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया डीसी विपत्रों के निपटान के लिए कारवाई करनी चाहिए और समय पर डीसी विपत्र जमा करने में विफलता के लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

3.5 व्यक्तिगत जमा खाते

संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अंतर्गत, व्यक्तिगत जमाएँ ब्याज न देने वाली जमाओं की प्रकृति के हैं, जो 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा के तहत खोले गए हैं।

जेटीसी, 2016 के नियम 330 के अनुसार और व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाता खोलने की शर्तों के अधीन, राज्य की समेकित निधि से पीडी खातों में स्थानांतरित किए गए धनराशि को निर्धारित अवधि के बाद संबंधित लेखा शीर्षों से वापस समेकित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को दिसंबर 2019 में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम पर पीडी खाते खोलने का निर्देश दिया। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण मुआवजे की धनराशि जमा करने के लिए 24 पीडी खाते खोले गए। ये सभी खाते 2024-25 में परिचालित थे और वर्ष के दौरान ₹ 3,209.70 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹ 553.04 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन पीडी खातों में कुल जमा में से, वर्ष के दौरान ₹ 612.98 करोड़ संवितरित किए गए, जिससे मार्च 2025 के अंत में ₹ 3,149.76 करोड़ की राशि शेष बची। 31 मार्च 2025 तक के पीडी खातों का विवरण तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2024-25 के दौरान पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष (01-04-2024 को)		वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण		अंत शेष (31-03-2025 को)	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
24	3,209.70	शून्य	553.04	शून्य	612.98	24	3,149.76

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) द्वारा अनुरक्षित आँकड़े

जेटीसी 2016 के नियम 343 के संदर्भ में, व्यक्तिगत जमा खाते के तीन प्रशासकों (24 में से) ने कोषागार के आँकड़े (कोषागार में) के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन और सत्यापन किया था और उन्होंने 03 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र कोषागार अधिकारी को प्रस्तुत किए थे। प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय को कोषागार अधिकारियों से ऐसे 03 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। व्यक्तिगत जमा खातों के इक्कीस (21) प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़े के साथ अपने शेष राशि का समाशोधन और सत्यापन नहीं किया था।

3.6 लघु शीर्ष-800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उचित लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बना देता है। सार्वभौमिक लघु शीर्ष 800 के तहत बड़ी राशि के वर्गीकरण से वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता प्रभावित होती है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, दो मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 683.99 करोड़, जो कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय (₹ 1,04,975.01 करोड़) का 0.65 प्रतिशत है, को लेखे में लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,065.06 करोड़, जो कुल राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों (₹ 1,03,845.92 करोड़) का 1.03 प्रतिशत है, को लेखे में 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

राज्य सरकार ने (25 नवंबर 2025) कहा कि लघु शीर्ष 800 के तहत राशि अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन सहमति व्यक्त की कि इसके उपयोग को कम से कम किया जाएगा।

मापन से संबंधित मुद्दे

3.7 प्रमुख उचंत और ऋण, जमा, प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत निवल शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि विभिन्न शीर्षों के तहत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग जोड़ करके निकाली जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए इन शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण शेष राशि तालिका 3.11 में दिखाई गई है।

तालिका 3.11: उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
1		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	उचंत लेखा						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	137.14	139.16	160.69	195.25	226.39	253.30
	निवल डेबिट (₹.) / क्रेडिट (₹.)	₹. 2.02		₹. 34.56		₹. 26.91	
102	उचंत लेखा- (सिविल)	81.45	88.32	81.56	98.08	311.06	332.06
	निवल डेबिट (₹.) / क्रेडिट (₹.)	₹. 6.87		₹. 16.52		₹. 21.00	
109	रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय)	-0.27	0.15	-0.53	-0.16	-1.85	1.26
	निवल डेबिट (₹.) / क्रेडिट (₹.)	₹. (-) 0.42		₹. (-) 0.37		₹. (-) 3.11	
110	रिज़र्व बैंक उचंत- (केंद्रीय लेखा कार्यालय)	5.43	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	क्रे. 0.96		0.00		0.00	
112	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	0	405.81	425.41	758.25	1,377.33	1,692.62
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	क्रे. 405.81		क्रे. 332.84		क्रे. 315.29	
123	एआईएस अधिकारी समूह बीमा योजना	1.83	0.04	1.90	0.05	2.07	0.06
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	डे. 1.79		डे. 1.85		डे. 2.01	
8782	एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद धन-प्रेषण और समायोजन						
102	लोक निर्माण प्रेषण	8,446.72	8,519.07	11,927.47	11,996.20	13,503.36	13,634.58
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	क्रे. 72.35		क्रे. 68.73		क्रे. 131.22	
103	वन प्रेषण	988.53	1,003.53	1,225.23	1,209.85	1,239.68	1,335.51
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	क्रे. 15.00		डे. 15.38		क्रे. 95.83	
8793	अंतर-राज्यीय उचंत खाता	10.81	0	5.28	0.00	3.05	0.38
	निवल डेबिट (डे.) / क्रेडिट (क्रे.)	डे. 10.81		डे. 5.28		डे. 2.67	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि के गैर-समाशोधन से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो वर्ष-दर-वर्ष आगे ले जाए जाते हैं) के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आँकड़े और शेष राशि की सटीकता प्रभावित होती है।

इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थ नीचे दिए गए हैं:

- **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) उचंत (शीर्ष 8658-101)**

पीएओ उचंत शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष राशि केंद्रीय सरकारी विभागों के पीएओ की ओर से प्र.म.ले. (ले. एवं हक.), झारखण्ड द्वारा मंजूरी दी गई उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें अभी तक वसूल नहीं किया गया है। बकाया क्रेडिट शेष राशि राज्य सरकार की ओर से पीएओ द्वारा किए गए उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) को अभी समायोजित करना है। यह देखा गया कि निवल शेष राशि 2023-24 में ₹ 34.56 करोड़ के क्रेडिट शेष से घटकर 2024-25 में ₹ 26.91 करोड़ के क्रेडिट शेष पर आ गई। इस शीर्ष के तहत निवल क्रेडिट शेष राशि (₹ 26.91 करोड़) के निपटान पर, राज्य सरकार की नकद शेष राशि उस सीमा तक कम हो जाएगी।

- **उचंत लेखा (सिविल) (शीर्ष 8658-102)**

लघु शीर्ष 102-उचंत लेखा (सिविल) का उपयोग प्राप्ति (क्रेडिट) और व्यय (डेबिट) को दर्ज करने के लिए किया जाता है, जिसे प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निपटान करना होता है। इस उचंत शीर्ष के तहत निवल शेष राशि

2023-24 के दौरान ₹ 16.52 करोड़ के क्रेडिट से बढ़कर 2024-25 में ₹ 21.00 करोड़ क्रेडिट हो गई।

नकद प्रेषण की जाँच और एक ही लेखा अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन से पता चला कि मार्च 2025 के अंत में ₹ 227.05 करोड़ की क्रेडिट शेष राशि पारगमन में थी।

3.8 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार की नकद शेष ₹ 53.08 करोड़ (क्रेडिट) थी, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे ₹ 8.63 करोड़ (डेबिट) बताया गया था। इस प्रकार, ₹ 44.45 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था, जो प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड और आरबीआई के बीच समाशोधन के अधीन था।

राज्य में भुगतान के लिए स्टेट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) के साथ ई-कुबेर प्रणाली (आरबीआई के) के एकीकरण के बाद, रिपोर्ट किए गए लेनदेन में अंतर बढ़ गया है क्योंकि राज्य आईएफएमएस रिपोर्ट लेनदेन की तिथि के आधार पर है जबकि ई-कुबेर प्रणाली लेनदेन को स्कॉल तिथि के आधार पर रिपोर्ट करती है।

लेन-देन प्रविष्टि करने की तिथि में अंतर के कारण, प्रधान महालेखाकार की लेखों में नकदी शेष और आरबीआई द्वारा रिपोर्ट की गई नकदी शेष में लगातार अंतर बढ़ रहा है। सरकारी खातों में नकदी शेष राशि के आँकड़े की सत्यता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समय पर और समन्वित मिलान का प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.9 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। राज्य सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों का अनुपालन तथा 2024-25 के दौरान उनमें पाई गई कमियों का विस्तृत विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	आईजीएएस-1:	सरकार द्वारा दी गई गारंटी - प्रकटीकरण आवश्यकताएं	अनुपालन (वित्त लेखे के विवरणी 9 और 20)	कोई कमी नहीं

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएस का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
2.	आईजीएस-2:	सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखे का विवरणी 10)	सहायता-अनुदान की कुछ राशि को पूँजीगत अनुभाग के तहत दर्ज की गई।
3.	आईजीएस-3:	सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखे का विवरणी 7 और 18)।	बकाया ऋणों की यथार्थ राशि और ऋणों का भुगतान कब तक किया जाना है, इसका पता नहीं लगाया जा सका। अनिश्चितकालीन ऋण के रूप में स्वीकृत ऋणों और असाधारण लेनदेन के मामलों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था।
4.	आईजीएस-4:	पूर्व अवधि समायोजन	अनुपालन (वित्त लेखे के विवरणी 13 का अनुलग्नक)	कोई कमी नहीं

स्रोत: वित्त लेखे

3.10 स्वायत्त निकायों/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की प्रस्तुति

3.10.1 स्वायत्त निकाय

31 मार्च 2025 तक, 34 प्रतिवेदित किए गए स्वायत्त निकायों (एबी) के संबंध में 364 लेखे लंबित थे, जैसा कि तालिका 3.13 में विस्तृत है।

तालिका 3.13: 31 मार्च 2025 को स्वायत्त निकायों के लेखों का बकाया

क्र.सं.	निकायों / प्राधिकरण का नाम	से लेखे लंबित	लंबित लेखों की संख्या
1.	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2023-24	2
2.	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी)	2012-13	13
3.	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एसएचएजे)	2021-22	4
4.	राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2010-11	15
5.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	2006-07	19
6.	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (जेएसएचबी)	स्थापना के बाद से	24
7.	क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2010-11	15
8.	झारखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए)	स्थापना के बाद से	23

क्र.सं.	निकायों / प्राधिकरण का नाम	से लेखे लंबित	लंबित लेखों की संख्या
9.	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	स्थापना के बाद से	एंड्रस्टमेंट और लेखे प्राप्त नहीं हुए
10.	बाबा बैद्यनाथ-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीबीबीएसएडीए)	स्थापना के बाद से	9
11.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (24 जिलों में से प्रत्येक में एक)	2015-16	240
कुल			364

स्रोत: विभागीय आँकड़े/सूचना

3.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

कंपनी अधिनियम, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। समय पर लेखे जमा करने में विफलता, कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती है।

30 सितंबर 2025 तक लेखों को अंतिम रूप देने में पीएसयू द्वारा की गई प्रगति का विवरण नीचे तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14: 30 सितंबर 2025 तक कार्यशील और निष्क्रिय पीएसयू के लेखों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	ब्योरा	कार्यरत	निष्क्रिय	कुल
1.	पीएसयू की संख्या	29	3	32
2.	पीएसयू की संख्या जिसके लेखे बकाया हैं	22	0	22
3.	बकाया लेखे की संख्या	119	0	119
4(ए)	पांच वर्ष से अधिक के बकाए वाले पीएसयू की संख्या	7	0	7
4(बी)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया लेखों की संख्या	60	0	60
5(ए)	तीन से पांच वर्ष के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	9	0	9
5(बी)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया लेखों की संख्या	41	0	41
6(ए)	एक से दो वर्ष के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	13	0	13
6(बी)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया लेखों की संख्या	18	0	18
7	बकाये की सीमा (वर्षों में)	1 से 15	0	1 से 15

स्रोत: कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आँकड़े

सक्रिय प्रयास के बावजूद, चूक करने वाले राज्य स्वायत्त निकायों और लोक क्षेत्र के उपक्रमों ने लेखों को पूर्ण नहीं किया और लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किया। पीएसयू द्वारा लेखों को अंतिम रूप नहीं देने से

गंभीर कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक परिणाम होते हैं। यह मुख्य रूप से लोक धन नियंत्रण की कमी को दर्शाता है, जिससे धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन और वित्तीय कुप्रबंधन का खतरा होता है।

अन्य मामले

3.11 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में यह प्रावधान है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य किसी कारण से नुकसान होने पर कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तत्काल रिपोर्ट की जानी चाहिए, भले ही उस नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्ष द्वारा उसकी भरपाई कर दी गई हो। जैसे ही संदेह हो कि नुकसान हुआ है ऐसी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए और जाँच होने के क्रम में देरी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, दिसम्बर 2025 तक राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।

3.12 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.)/ वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवेदन को पेश किए जाने के तीन महीने के भीतर संबंधित विभागों द्वारा महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) कृत-कार्रवाई नोट (ए.टी.एन.) उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है।

पीएसी की सिफारिशों पर राज्य विधानमंडल द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए राज्य वित्त पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किए गए ₹ 8,120.12 करोड़ (पिछले वर्षों से संबंधित) की राशि के प्रावधानों पर अतिरिक्त व्यय को नियमित (13 जनवरी 2014) किया गया था। इसके बाद, प्रावधानों पर अतिरिक्त व्यय को नियमित नहीं किया गया है क्योंकि पीएसी द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है।

3.13 निष्कर्ष

मार्च 2025 तक, श्रम उपकर संग्रह की कुल राशि ₹ 945.67 करोड़ में से, पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा केवल ₹ 473.74 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिससे बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड को हस्तांतरण के लिए ₹ 471.93 करोड़ की बकाया राशि शेष रह गई। उपकर के हस्तांतरण न होने के परिणामस्वरूप राज्य की देनदारियां बढ़ गईं और बीओसीडब्ल्यू कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि से वंचित रह गईं।

31 मार्च 2025 तक, ₹ 1,60,565.80 करोड़ की राशि के 52,855 उपयोगिता प्रमाण पत्र और ₹ 4,531.00 करोड़ की राशि के 17,877 एसी विपत्रों के विरुद्ध डीसी विपत्र

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे। लंबे समय तक भारी मात्रा में उ.प्र.प लंबित रहने और डीसी विपत्रों के प्रस्तुत न होने से लोक निधि के दुरुपयोग का खतरा होता है।

जेटीसी 2016 के नियम 343 का पालन व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासकों द्वारा नहीं किया गया था। 24 प्रशासकों में से केवल तीन (03) ने ही कोषागार के आँकड़े (कोषागार में) के साथ अपने शेष राशि का मिलान और सत्यापन किया था और 03 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र उनके द्वारा कोषागार अधिकारी को प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय को भेजा गया था। कोषागार के आँकड़े के साथ शेष राशि का समाशोधन न करना पारदर्शिता के मानदंडों के विरुद्ध है और इस तरह के कोष की निगरानी में बाधा डालता है।

झारखण्ड सरकार ने नवंबर 2025 तक लघु खनिजों से संबंधित अन्वेषण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए लोक लेखे/ बैंक खाते के तहत एसएमईटी की स्थापना नहीं की थी।

3.14 अच्छी प्रथाएं

- श्रम उपकर के हस्तांतरण नहीं करने को लगातार प्रतिवेदित करने के कारण, राज्य ने पिछले तीन वर्षों से एकत्र किए गए उपकर को झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है।
- प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के लेखों के साथ राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों के गैर-समाशोधन की नियमित प्रतिवेदन के पश्चात, यह परिवर्तन देखा गया कि पिछले तीन वर्षों में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) के लेखों के साथ राज्य की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का 100 प्रतिशत मिलान किया गया है।

3.15 अनुशंसाएँ

- लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभागों को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संग्रह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई शुरू कर सकती है।

- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि से परे लंबित सभी ऐसी विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि सभी व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों के प्रशासक कोषागारों के साथ शेष राशि का मिलान करें और इसकी सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को दें।

राँची

दिनांक:

(इंदु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक